

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-08102022-239506
SG-DL-E-08102022-239506

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 6, 2022/अश्विन 14, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 281
No. 446]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2022/ASVINA 14, 1944	[N. C. T. D. No. 281

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

संख्या 04/2022-राज्य कर (दर)

फा. सं. 03(16)/वित्त (व्यय-I)/2022-23/डीएस-I/793.— दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए, कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस सरकार की अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं. फा. 03(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/380, दिनांक 30, जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में, कॉलम (3) में-

(i) क्रम संख्या 6 के समक्ष, उपवाक्य (i) में, "स्पीडपोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को" शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, स्पंटीकरण में, उपवाक्य (क) में, क्रम संख्या (i) में, "स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को" शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, परन्तुक में, क्रम संख्या (i) में, "स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को" शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 9 के समक्ष, परन्तुक में, क्रम संख्या (i) में, "केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को स्पीड पोस्ट, त्वरित पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम द्वारा" शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 12 के समक्ष, कॉलम (3) में, "निवास के रूप में" शब्दों के पश्चात्, उस स्थिति को छोड़कर जहां ऐसे आवासीय भवन को किसी पंजीकृत व्यक्ति को किराए पर दिया जाता हो, शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (क) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

" (क) इकोनॉमी क्लास में वायुमार्ग से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, या त्रिपुरा राज्य या पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित बागडोगरा में अवस्थित विमानपत्तन से प्रस्थान या समापन;"

(ङ) क्रम संख्या 20 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (घ) को निरसित किया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (ख) और (ग) को निरसित किया जाएगा;

(छ) क्रम संख्या 24ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(3)				
"अनाज, दालों, फल और सब्जियों के भंडारण या वेयर-हाऊसिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं;"				

(ज). क्रम संख्या 24ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24ग	अध्यातय 9968	पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, बुक पोस्ट और साधारण डाक (जिनमें लिफाफे का वजन 10 ग्राम से कम हो), के माध्यम से डाक विभाग के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं;"	कुछ नहीं	कुछ नहीं;"

(झ) क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ञ) क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ट) क्रम संख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ठ) क्रम संख्या 47क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ड) क्रम संख्या 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ढ) क्रम संख्या 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"52क	शीर्षक	टूर प्रचालक सेवा, जो कि आंशिक रूप से भारत में और	Nil	Nil;"

9985	आंशिक रूप से भारत के बाहर दी जाती है और टूर ऑपरेटर के द्वारा विदेशी पर्यटक को सुलभ कराई जाती है, भारत के बाहर सुलभ कराई जाने वाली टूर ऑपरेटर सेवा के मूल्य की सीमा तक: बशर्ते कि भारत के बाहर दी गई टूर ऑपरेटर सेवा का मूल्य पूरे दौरे के लिए प्रभारित कुल मूल्य का ऐसा अनुपात होगा जो उस अनुपात के बराबर होगा जो भारत के बाहर दौरे के दिनों की संख्या और टूर के लिए कुल दिनों की संख्या के बीच है, या पूरे टूर के लिए कुल शुल्क का 50%, जो भी कम हो: बशर्ते और भी कि उपरोक्त गणना करते समय, 12 घंटे के बराबर या उससे अधिक समय की किसी भी अवधि को एक पूरा दिन माना जाएगा और 12 घंटे से कम की किसी भी अवधि को आधा दिन माना जाएगा। स्पष्टीकरण – “विदेशी पर्यटक” से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो कि सामान्य रूप से भारत का नागरिक नहीं है और वैध और गैर-अप्रवासी उद्देश्य के लिए छह महीने से अनधिक अवधि के लिए भारत में रुकने के लिए आता है। दृष्टांत: कोई टूर ऑपरेटर किसी विदेशी पर्यटक को पर्यटन ऑपरेटर सेवा निम्नानुसार प्रदान करता है:- (क) भारत में 3 दिन, नेपाल में 2 दिन; पूरे दौरे के लिए लिया गया शुल्क: रु.1, 00, 000/-, छूट: रु. 40,000/- (= रु.1,00,000/- x 2/5) या, रु.50,000/- (= रु.1,00,000/- का 50%) जो भी कम हो, अर्थात रु. 40,000/- (अर्थात कर योग्य मूल्य: रु. 60,000/-); (ख) भारत में 2 दिन, नेपाल में 3 रातें; पूरे दौरे के लिए लिया गया शुल्क: रु.1, 00, 000/-; छूट: रु.60, 000 (= रु.1, 00, 000/- x 3/5) या, रु. 50, 000/- (= रु. 1, 00, 000/- का 50%) जो भी कम हो, यानी, रु. 50, 000/- (अर्थात, कर योग्य मूल्य: रु. 50, 000/-); (ग) भारत में 2.5 दिन, नेपाल में 3 दिन; पूरे दौरे के लिए लिया गया शुल्क: रु.1, 00, 000/-; छूट: रु. 54,545 (= रु.1, 00,000/- x 3/5.5) या, रु. 50, 000/- (= रु. 1, 00,000/- का 50%), जो भी कम हो, अर्थात, रु. 50, 000/- (अर्थात, कर योग्य मूल्य: रु. 50, 000/-)।		
------	---	--	--

(ण) क्रम संख्या 53क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(त) क्रम संख्या 54 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (ज) को निरसित किया जाएगा;

(थ) क्रम संख्या 56 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(द) क्रम संख्या 73 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 74 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (क) में निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(3)
“बशर्ते कि उस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात किसी नैदानिक स्थापन द्वारा कमरे [इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू)/क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)/इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट (आईसीसीयू) /नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) से भिन्न] के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी जिसका शुल्क रु 5000/— प्रति दिवस से अधिक हो, ऐसे व्यक्ति को जिसे स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं दी जा रही हो।”;

(न) क्रम संख्या 75 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(प) क्रम संख्या 80 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(3)
“प्रशिक्षण या कोचिंग के द्वारा सेवाएं— (क) कला या संस्कृति से सम्बंधित आमोद-प्रमोद के क्रिया कलाप में, किसी व्यक्ति द्वारा या (ख) आयकर अधिनियम की धारा 12कक या 12कख अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पूर्त अस्तित्व द्वारा खेल,”;

(फ) क्रम संख्या 82क के समक्ष, कॉलम (3) में, अक्षर, अंक और शब्दों “FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020” के पश्चात्, कोष्ठक और शब्द, “[जब भी पुनर्नियोजित]” को अंतःस्थापित जाएगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी ।

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017 —राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं.फा. 03(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/380, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2021-राज्य कर (दर), दिनांक 16 मार्च, 2022 सं.फा. 03 (159)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/170, दिनांक 16 मार्च, 2022 के तहत प्रकाशित, के द्वारा और, संशोधन किया गया है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविन्द्र कुमार, उप सचिव -I (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 4th October, 2022

No. 04/2022-State Tax (Rate)

F. No. 3 (16)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/793.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of this Government issued vide No. 12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, -

(A) in the Table, -

(a) in column (3), -

(i) against serial number 6, in clause (a), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory” shall be omitted;

(ii) against serial number 7, in the Explanation, in clause (a), in sub-clause (i), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory” shall be omitted;

(iii) against serial number 8, in the proviso, in clause (i), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory” shall be omitted;

(iv) against serial number 9, in the first proviso, in clause (i), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory” shall be omitted;

(b) against serial number 12, in column (3), after the words “as residence”, the words “except where the residential dwelling is rented to a registered person” shall be inserted;

(c) serial number 14 and the entries relating thereto shall be omitted;

(d) against serial number 15, in column (3), for clause (a), the following shall be substituted: -

(3)
“(a) air in economy class, embarking from or terminating in an airport located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, or Tripura or at Bagdogra located in West Bengal.”;

(e) against serial number 20, in column (3), clause (d) shall be omitted;

(f) against serial number 21, in column (3), clauses (b) and (c) shall be omitted;

(g) against serial number 24B, for the entries in column (3), the following shall be substituted: -

(3)
“Services by way of storage or warehousing of cereals, pulses, fruits and vegetables.”;

(h) after serial number 24B and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“24C	Chapter 9968	Services by the Department of Posts by way of post card, inland letter, book post and ordinary post (envelopes weighing less than 10 grams).	Nil	Nil”;

(i) serial number 26 and the entries relating thereto shall be omitted;

(j) serial number 32 and the entries relating thereto shall be omitted;

(k) serial number 33 and the entries relating thereto shall be omitted;

(l) serial number 47A and the entries relating thereto shall be omitted;

(m) serial number 51 and the entries relating thereto shall be omitted;

(n) after serial number 52 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“52A	Heading 9985	Tour operator service, which is performed partly in India and partly outside India, supplied by a tour operator to a foreign tourist, to the extent of the value of the tour operator service which is performed outside India: Provided that value of the tour operator service performed outside India shall be such proportion of the total consideration charged for the entire tour which is equal to the proportion which the number of days for which the tour is performed outside India has to the total number of days comprising the tour, or 50% of the total consideration charged for the entire tour, whichever is less: Provided further that in making the above calculations, any duration of time equal to or exceeding 12 hours shall be considered as one full day and any duration of time less than 12 hours shall be taken as half a day. Explanation. -“foreign tourist” means a person not normally resident in	Nil	Nil”;

		India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes. Illustrations: A tour operator provides a tour operator service to a foreign tourist as follows: - (a) 3 days in India, 2 days in Nepal; Consideration Charged for the entire tour: Rs.1, 00, 000/- Exemption: Rs.40,000/- (=Rs.1,00, 000/- x 2/5) or, Rs.50, 000/- (= 50% of Rs.1,00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs.40,000/-(i.e., Taxable value: Rs.60,000/-); (b) 2 days in India, 3 nights in Nepal; Consideration Charged for the entire tour: Rs.1,00,000/- Exemption: Rs.60,000/-(=Rs.1,00, 000/- x 3/5) or, Rs.50,000/- (= 50% of Rs.1, 00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs.50,000/-(i.e., Taxable value: Rs.50,000/-); (c) 2.5 days in India, 3 days in Nepal; Consideration charged for the entire tour: Rs.1,00, 000/- Exemption: Rs.54,545/-(=Rs.1,00, 000/- x 3/5.5) or, Rs.50,000/- (= 50% of Rs.1,00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs.50,000/-(i.e., Taxable value: Rs.50,000/-).		
--	--	---	--	--

(o) serial number 53A and the entries relating thereto shall be omitted;

(p) against serial number 54, in column (3), clause (h) shall be omitted;

(q) serial number 56 and the entries relating thereto shall be omitted;

(r) serial number 73 and the entries relating thereto shall be omitted;

(s) against serial number 74, in column (3), in clause (a), the following proviso shall be inserted, namely: -

(3)
“Provided that nothing in this entry shall apply to the services provided by a clinical establishment by way of providing room [other than Intensive Care Unit (ICU)/Critical Care Unit(CCU)/Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)/Neo natal Intensive Care Unit (NICU)] having room charges exceeding Rs. 5000 per day to a person receiving health care services.”;

(t) serial number 75 and the entries relating thereto shall be omitted;

(u) against serial number 80, for the entries in column (3), the following shall be substituted: -

(3)
“Services by way of training or coaching in- (a) recreational activities relating to arts or culture, by an individual, or (b) sports by charitable entities registered under Section 12AA or 12AB of the Income Tax Act.”;

(v) against serial number 82A, in column (3), after the letters, figures and words, “FIFA U-17 Women’s World Cup 2020”, the brackets and words “[whenever rescheduled]” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification no.12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017 and last amended vide notification no. 16/2021 - State Tax (Rate), dated the 16th March, 2022, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(159)/Fin(Exp-I)/2021-22/DS-I/170, dated the 16th March, 2022.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. I (Finance)